पहचान पत्र सं. {{ID}}

**बिट्स पिलानी-** **बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान**

**पिलानी (राजस्‍थान) – 333031**

सं. 35/24/2XX0-रा.भा. दिनांक : 28 अक्‍टूबर, 2025

**व्‍यक्तिश: आदेश**

**विषय : हिंदी में प्रवीणता प्राप्‍त कार्मिकों द्वारा अपना सम्‍पूर्ण कार्य हिंदी में करने के संबंध   
 में व्‍यक्तिश: आदेश।**

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार) की **दिनांक 18.12.1992** की **अधिसूचना संख्‍या 18/1/9X-रा.भा.** द्वारा बिट्स पिलानी- बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान को राजभाषा नियम, 197X के नियम 10 (4) के तहत एक अधिसूचित कार्यालय घोषित किया गया है। अत: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत यह अनिवार्य हो जाता है कि कार्यालय में कार्यरत ऐसे सभी कार्मिक जो हिंदी में प्रवीणता प्राप्‍त हैं, वे अपना सम्‍पूर्ण सरकारी कामकाज हिंदी में करें।

कार्यालय में उपलब्‍ध रिकॉर्ड के अनुसार **डॉ/श्री/सुश्री/श्रीमती {{NAME}}, {{Post}}** को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 9 के तहत हिंदी में प्रवीणता प्राप्‍त है। अत: नियम 8 (4) के अंतर्गत आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपना सम्‍पूर्ण सरकारी कामकाज हिंदी में करेंगे।

इस आदेश की अवहेलना को संघ की राजभाषा नीति का उल्‍लंघन माना जाएगा और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

**निदेशक**

डॉ/श्री/सुश्री/श्रीमती {{**NAME}}**

**{{Post}}**

**पिलानी (राजस्‍थान)**